12/4/19 पत्रावली पेश। वकील वादी उप०। प्रतिवादीगण संख्या – 1 व 3 के सम्मन बाद तामील प्राप्त। शामिल मिसल है। उक्त प्रतिवादीगण बावजूद तामिल उप० नहीं। बार-बार रुक रुक कर आवाजे लगायी गई। लेकिन ना तो वादी ना ही उनकी तरफ से कोई वकील पेश आया। इसलिए इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील वादी ने निवेदन किया की वाद पत्र में दर्ज कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या – 1 ता 4 के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रायमिक डिक्री जारी की जावें। वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या – 1 ता 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है व प्रतिवादी संख्या – 5 के द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में वादी का यह वाद पत्र डिक्री किये जाने योग्य है। प्राथमिक डिक्री निम्नानुसार जारी हो। निर्णय अलग से लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली वास्ते इंतजार विभाजन प्रस्ताव आने पर पेश हो।

Scanned by CamScanner